संख्या–1912/33–3–2013–96/2011

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ चन्दौली,चित्रकूट,एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर,गोण्डा,गोरखपुर, हमीरपुर,हरदोई,जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर,महराजगंज, महोबा,मीरजापुर, प्रतापगढ,रायबरेली,संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर,सोनभद्र,उन्नाव।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक : 16 जुलाई 2013

विषयः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–14 में प्राविधानित धनराशि में से गत वर्षो में योजनान्तर्गत विलम्ब से धनराशि हस्तान्तरित करने के कारण देय दण्डात्मक ब्याज की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के पत्र संख्या– 170/33–पी.एम.यू./2013 दिनांक 04.07.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में विलम्ब से धनराशि अवमुक्त करने हेतु देय दण्डात्मक ब्याज रू0 5.4969534 करोड़ धनराशि के सापेक्ष जनपद /पंचायत/निकायवार अनुमन्य आवंटन एवं वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की फांट संलग्न कर उपलब्ध धनराशि रू0 5.4969534 करोड़ के सापेक्ष जनपद /पंचायत/ निकायवार धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव/आलेख्य पर स्वीकृति/सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः परियोजना निदेशक, बी.आर.जी.एफ. के उक्त प्रस्तावों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न फॉट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि में से रू0–54969534/– (रू0 पॉच करोड़ उनचास लाख उनहत्तर हजार पॉच सौ चौतीस मात्र) की धनराशि, को संलग्न पंचायतवार/निकायवार फॉट के अनुसार, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1– 3520/दस– 2011–231/2012, दिनांक 16.12.2011 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

2– (1) प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के लिये बिल जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा तथा उस पर संबंधित जिला पंचायत के वित्तीय परामर्शदाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। शासनादेश संख्या–1919/ 33–3–2008–100(57)/08, दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि योजनान्तर्गत राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खातें में ही रखा जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा ।

(3) इस धनराशि से वे कार्य ही कराए जाएँगें जिनकी स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या–612/33–3–2013–59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के अधीन प्रदान की जाए। जिलाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं बी0आर0जी0एफ0 विकास अनुदान खाता से धनराशि के आहरण की स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त योजना जिला योजना समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना के रूप में अनुमोदित हो।

(4) समस्त कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरुप ही किया जाएगा। शासनादेश सं0–686/33–3–2013–69/2013, दिनांक 01.03.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला योजना प्रबंध इकाई एवं पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों द्वारा योजनाओं का कियान्वयन शासनादेश सं0–609/33–3–2013–48/2013, दिनांक 22.02.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अधिकारी परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित धनराशि को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर निकाय को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी जाए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही है। अतः भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य/परियोजना स्थल का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व व्यय का पूर्ण विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/भारत सरकार को निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराना अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा। अतः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत धनराशि का अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मदवार मासिक व्यय विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व नगर निकाय द्वारा भी अपने–अपने स्तर पर स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं नियमित रुप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुपपत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जाएँगें। अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा नियमित रुप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुप पत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर ही किया जाए और किसी भी दशा में व्यावर्तन नहीं किया जाएगा।

(8) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व पंचायतवार/निकायवार एवं संलग्न फॉर्ट के सही होने/ धनराशियों का आहरण बजट प्राविधान के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपयुक्त लेखा शीर्षकवार ही किया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व, परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी.आर.जी.एफ उ0प्र0 का होगा।

(9) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व परियोजना निदेशक, बी.आर.जी.एफ. यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि इन धनराशियों के संबंध में भारत सरकार के संबंधित पत्रों के माध्यम से संबंधित जनपदों के लिए उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी हैं, उनमें जनपदवार/निकायवार/पंचायतवार /एस.सी. पी.एस.सी./एस.टी.एस.पी. तथा नान /एस.सी. पी. एस.सी./एस.टी.एस.पी. कम्पोनेन्टवार अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष ही धनराशियॉ व्यय की जायेंगी तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एव भारत सरकार के गाइडलाइन्स का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय संलग्न फॉर्ट के अनुसार पंचायतवार/ निकायवार विवरण में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–14 आयोजनागत–पूँजीगत व्यय के अर्न्तगत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–640/दस–13दिनांक 12.07.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।

संख्या : (1)/33–3–2013–96/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2— स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
7– परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,उ0प्र0
8– आयुक्त, सम्बन्धित मण्डल, उ0प्र0
9– अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत।
10– जिलाधिकारी, संबंधित जनपद ।
11– मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद ।
12– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
13– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–2/आडिट–2, इलाहाबाद।
14– वित्त (आय–व्ययक) 1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
15– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
16– पंचायतीराज अनुभाग–1/2
17– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
अनु सचिव।